

फॉर्म II (1)

इंडियन बैंक डकसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत फसल की खेती के डलए नकद ऋण सुडिधा - आिेदन सह रूल्ांकन सह रंजूरी फ़ाररैट



शाखा

बचत खाता संख्या

01. नार् (उपनार् / प्रथर् नार् / धर् नार्) के डपटल अक्षर रेेे

श्री / श्रीती / सुश्री / डर्स

02. ए) आश्यक सीर्ा

1. खरीफ

1)

2)

3)

2. रबी

1)

2)

3)

3. ग्रीष्म

1)

2)

3)

4. बारहमासी

1)

2)

3)

वर्ष 20..... से 20..... तक फसल ऋण आवश्यकताएँ	रुपए
जोड़ें : फसल कटने के पश्चात / घरेलू आवश्यकताएँ (फसल की आवश्यकता का 10% अधिकतम रु. 25,000/- के अीन)	रुपए
जोड़ें: आपातकाल के तौर पर फसल ऋण की आवश्यकता का 20% दूसरे और तीसरे वर्ष के डलए प्रत्येक 10% की दर से धवभाधित धकया िाना है)	रुपए

कु ल आशयकता	रुपए
-------------	------

बी) ऑफर की िाने वाली प्रस्ताधवत
 प्रधतभूधत i. िाधमन (Surety) ii. फसल
 पर प्रभार iii. भूधम पर प्रभार iv. ज़मीन
 का बंिक धहस्सा

सहमधत दी िाती है धक बैंक की संतुधि के धलए खाते की समीक्षा के अीन वाधर्षक नवीनीकरण के
 आार पर तीन वर्ष की अवधि के धलए उपरोक्त सीमा मांगी गई है।

स्थान

:

धदनांक : आेदक के हस्ताक्षर

बी) प्रबंधक/आरिओ की पूिम-अनुर्ोडदत रूल्ांकन

ररपोटम 1) दौरे की धदनांक

2) उिरकताष की धनवल माधलयत (आस्तस्त एवं देयताएँ)

3) गारंटर का नाम एवं पता (यधद कोई)

4) गारंटर की धनवल माधलयत (आस्तस्त एवं देयताएँ)

5) फसल पद्धधत एवं क्रे धिट बिट

रौसर् /फसल	रात्रा	डित्त का स्केल	ऋण की आिश्यकता	फसल की अिडध (राह)	प्रत्याडित	भुर्तान डतडथ	
					पैदाार	आय	
(एकड़)	(रुपए)	(रुपए)	ए	बी	(डकग्रा)	(रुपए)	(राह)
खरीफ							
रबी							
ग्रीष्म							
बारहमासी							
फसल कटने के पश्चात / घरेलू आवश्यकताएँ							

फु ट नोट : ए : बुवाई बी : फसल

6) आदानो ं की खरीद व धवपणन की व्यवस्था एवं उनकी पयाषप्तता

7) अधिकतम अनुमत सीमा (एमपीएल) अनुसंधशत

8) लगाई िाने वाली ब्याि दर

9) अनुसंधशत प्रधतभूधत के धववरण

सी) रंजूरी

पांच वर्ों के धलए धनमोक्त धनयमो ं और शतों पर _____ रुपये की इंधियन बैंक धकसान कािष सीमा के रूप में स्वीकृ त।

1) ब्याि दर

2) प्राप्त की िाने वाली प्रधतभूधत

3) अधिकतम अनुमत सीमा*
I वर्ष
II वर्ष
III वर्ष
IV वर्ष
V वर्ष

नोट : * यह माना जाता है कि प्रथम वर्ष के लिए अनुमानित फसल पद्धत को सभी पांच वर्षों के लिए स्वीकार किया जाता है।

3. स्वीकृत डेट के अन्य डनयर् और ितें

1. अधग्रम का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। दुरुपयोग की स्थिति में, सीमा रद्द कर दी जाएगी और अधग्रम वापस ले लिया जाएगा।
2. धनयत तारीख से पहले मौसमी उप-सीमा का भुगतान किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर खाते में आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. स्वीकृत सीमा केवल अधिकतम स्वीकायष सीमा है जिसके भीतर संघवतरण की अनुमति फसल पैटनष के आधार पर धनकाली गई मौसमी उप-सीमा के अनुसार दी जानी चाहिए।
4. इस सुधवि के लिए प्रस्तावित प्रथमभूतयां अन्य सुधविओं के लिए भी अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में होंगी।
5. यहां भी लागू हो रारिरीय कृ ढर् बीमा योिना के तहत फसलों का बीमा अधनवायष है।
6. यह सीमा तीन वर्ष की अवधि के लिए मंिूर की जाती है, बशते नवीनीकरण की धनयत तारीख से कम से कम 15 धदन पहले वार्षिक नवीनीकरण व संतोरिनक व्यवहार और आगामी वर्ष के लिए फसल पैटनष का धववरण प्रस्तुत किया जाए।
7. बैंक धबना कोई कारण बताए बैंक के धववेक पर ब्याि दर सधहत उक्त मंिूरी की शतों में से धकसी एक या सभी स्वीकृत सुधविओं को रद्द/धनलंधबत/कम करने और इन मंिूरी शतों को बदलने/संशोधित/पररवधतषत करने का अधिकार सुरधक्षत रखता है।

डदनांक

आरिओ के हस्ताक्षर

प्रबन्धक के हस्ताक्षर

ई) उधारकताम की पािती

रैने उपरोक्त रंजूरी रे डनधामररत सभी डनयर्ो ं और ितों को पढ़ डलया है और रैने उनका पालन करने के डलए सहर्डत प्रदान करता हं।

स्थान :

धदनांक

:

उधारकताम के हस्ताक्षर